पत्रांक–अ०सं०क० 04–11/हज–02–2015................/

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मो० इबरार आलम, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले०एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ,

पटना, दिनांक–......................

विषयः– बिहार राज्य हज समिति, पटना को वित्तीय वर्ष 2025–26 में सहायक अनुदान गैर वेतन मद से ₹35.00,000/– (पैंतीस लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

1. यह व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–30 अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत आय–व्ययक के मुख्य शीर्ष 2250 अन्य सामाजिक सेवायें–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–800 अन्य व्यय–उपशीर्ष–0004 बिहार राज्य हज समिति को अनुदान विस्तृत शीर्ष–31–सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपबंधित अवशेष राशि से ₹35.00,000/– (पैंतीस लाख रूपये) मात्र विपत्र कोड 30–2250008000004 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

2. वित्त विभाग के परामर्शानुसार बिहार राज्य हज समिति, पटना अपनी परिसम्पत्तियों का बेहतर आर्थिक प्रबंधन कर आय बढ़ाने के लिए योजना तैयार करे तथा बिना संसाधन के अपने व्यय या दायित्वों को न बढ़ायें और दायित्वों को अपनी आय तक सीमित रखें।

3. उक्त राशि का व्यय अगर चालू वित्तीय वर्ष में नहीं होता है तो शेष राशि राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

4. अनुदान की ₹35.00,000/– (पैंतीस लाख रूपये) मात्र की निकासी BTC–42 के माध्यम से सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में की जायेगी। गैर वेतन मद के रूप में प्राप्त उक्त अनुदानित राशि का अंतरण Bihar State Haj Committee, Patna के SBI Bank A/C No.-30086203939, IFSC Code- SBI N 0006917 में CFMS के माध्यम से कराया जायेगा।

5. सहायक अनुदान गैर वेतन की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य हज समिति, पटना अनुदान की राशि के व्यय का अंकेक्षण कराकर अंकेक्षण प्रतिवेदन सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे।

6. इस राज्यादेश में स्वीकृत अनुदान की राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2063/वि० दिनांक–11.03.2016 के आलोक में राशि की निकासी की जा रही है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि० दिनांक–05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

9. व्यय उसी मद एवं उसी प्राधिकार द्वारा किया जाना है, जो उसके लिए प्राधिकृत हैं।

कृ०पृ०उ०

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं०–12888, दिनांक–03.12.2024 के निहित प्रावधानानुसार स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– अ०सं०क० 04–11/हज–02–2015 के पृष्ठ 113/टि० पर प्राप्त है।

11. उक्त प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०सं०क० 04–11/हज–02–2015............/ पटना, दिनांक–...............

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०सं०क० 04–11/हज–02–2015................/ पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपिः–सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (दो प्रतियों में)/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य हज समिति, 34 हार्डिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०सं०क० 04–11/हज–02–2015................/ पटना, दिनांक–...............

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/वित्त विभाग (वित्त शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– अ०सं०क० 04–11/हज–02–2015...165.../ पटना, दिनांक–...16/06/25

प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव